न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

प्रहलादनारायण बनाम पप्पूराम

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 103 / 2024

16.04.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 490 हाल आराजी खसरा नम्बर 212 / 0.19, 213 / 0.14, 214 / 0.04, 215 / 0.10, 216 / 0.07, 217 / 0.19, 223 / 0.16, 224 / 0.15, 225 / 0.11, 226 / 0.12, 227 / 0.30, 291 / 0.10, 292 / 0.04 किता 13 रकबा 1.71 हैक्टर वाके ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी से प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा न करें ना ही आराजी पर जबरन कब्जा कर तारबन्दी सहित कोई निर्माण कार्य करें, ना ही आराजी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग अर्थात फसल बोने–जोतने काटने लाने–ले–जाने आदि में प्रार्थी के साथ व्यवधान उत्पन्न करें। अंत में मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है *कि हाल आराजी खाता संख्या 490 हाल आराजी खसरा नम्बर 212 / 0.19, 213 / 0.14, 214 / 0.04, 215 / 0.10, 216 / 0.07, 217 / 0.19, 223 / 0.16, 224 / 0.15, 225 / 0.11, 226 / 0.12, 227 / 0.30, 291 / 0.10, 292 / 0.04 किता 13 रकबा 1.71 हैक्टर वाके ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर* मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबंध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 14.05.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
4/8/25 पत्रावली पेशी के पेश। वकील प्रार्थी उपि। वास्ते बहस दिनांक 9/9/25 को पेश हो। SDO	
9/9/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप। वास्ते बहस दिनांक 25/9/25 को पेश हो। SDO	
25/09/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते बहस दिनांक 27/10/25 को पेश हो। SDO	
27/10/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। मुलवाद सं. 1/92/24 09 R 5 CPC मे खारीज हो जाने के कारण प्रा. पत्र 2/2 भी 09 R 5 CPC मे खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा रेकर्ड भण्डार हो। SDO	